न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

मुरली देवी बनाम मोहनलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा मु.नं. - 95/2020
10.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में वकील वादीगण की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव को अंतिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
95 / 2020	2020 / 00205	07.10.2020	10.07.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. मुरली देवी पत्नी स्व0 काना उम्र 50 वर्ष
2. राजेन्द्र पुत्र स्व0 काना उम्र 31 वर्ष
3. दिनदयाल पुत्र स्व. काना उम्र 28 वर्ष
4. प्रकाश पुत्र स्व0 काना उम्र 26 वर्ष
5. रोहिताश पुत्र स्व0 काना उम्र 24 वर्ष
6. महेन्द्र पुत्र स्व. काना उम्र 22 वर्ष

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बाडावाली तन रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—— वादीगण——

बनाम

1 मोहन लाल पुत्र भगवाना उम्र 46 वर्ष
2. पप्पूराम पुत्र भगवाना उम्र 40 वर्ष
3. रामवतार पुत्र भगवाना उम्र 38 वर्ष
4. मुकेश पुत्र भगवाना उम्र 33 वर्ष
5. राकेश पुत्र भगवाना उम्र 28 वर्ष
6 प्रभाती देवी पुत्री भगवाना उम्र 49 वर्ष
7. विमला देवी पुत्री भगवाना उम्र [illegible] वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी बाड़ावाली तन रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

8. मैनेजर, बड़ोदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नाथुसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

9. पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

10. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

——प्रतिवादीगण——

उपस्थित :–

श्री दीपक बाजिया, एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से

वादपत्र बाबत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3364, 3365 कुल किता 2 कुल रकबा 2.24 हैक्टेयर तन ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथुसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है। जिसके 1/2 हिस्सा के वादीगण एंव 1/2 हिस्से के प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के पिता, पति दर्ज राजस्व रिकार्ड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमियां है। जिसकी अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है तथा वादीगण अपनी हक, हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर पूर्णतः काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादीगण उक्त वर्णित कृषि भूमि को बिना विधिक तकास्मा करवाऐ भूमि के विशिष्ठ भू–भाग का दीगर भू माफिया गिरोह के लोगों को बेचान [illegible] कर दीगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह पर करा[illegible] को उसकी हक, हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करने पर उतारू है तथा भूमि को बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

दिलीप सिंह
[illegible] अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भू–रूपांतरण करवाये कृषि से अकृषि में परिवर्तन करने पर उतारू है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नही है। इसलिए वादीगण, प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध करवाने का अधिकारी है एंव भूमि का विधिक विभाजन कराने का अधिकारी है। बढ़ती कीमतों के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदयान्ति आ गई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त भूमियो का समुचित रूप से काश्त करने व उपयोग करने में अवरोध कारित करते रहते है तथा बात–बात पर झगड़ा फिसाद व मरने मारने पर उतारू हो जाते है। वादीगण का प्रतिवादीगण की शामिल खातेदारी में काश्त किया जाना असम्भव हो गया है तथा वादीगण अपनी आवश्यकतानुसार भूमियों का समुचित विकास एंव उपयोग उपभोग करने से महरूम हो रहा है। इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमियों का कानूनन विभाजन कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण कहने सुनने से नहीं मान रहे है। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त शामलाती खातेदारी भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा कर लिया या दीगर भू माफिया लोगों को अंतरण कर दिया या किसी अन्य प्रकार से इकरारनामा, दानलेख आदि से अतंरण कर दिया तो वादीगण के भूमि मुतनाजा में निहित विधिक हक हकूक गम्भीर रूप से प्रभावित होगें। वादीगण अपने हिस्से की भूमि से बेजा तौर पर महरूम हो जावेगा तथा अनावश्यक रूप से मुकदमेबाजी बढ़ेगी, जिससे वादी को इस कदर क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं हो सकेगी। प्रतिवादीगण की उक्त गलत अवैध एंव मनमाने रूप से की जा रही कार्यवाही को वादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबन्द करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी ने उक्त भूमियों का कानूनी बंटवारा करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो आजकल में करचवाने हेतु कहते रहे तथा दिनांक 01.10.2020 को भूमियों का विधिक विभाजन करवाने से साफ इंकार कर दिया तथा धमकी दी कि भूमि को बिना विधिक तकास्मा कराये दीगर भू माफिया गिरोह के लोगों को बेचान, रहन, अतंरण कर दीगर का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही जगह पर करवाकर रहेगें तथा वादीगण को उसके हक हिस्सा, खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि से बेदखल करवाकर रहेगें तथा कृषि भूमि को बिना भू रूपांतरण करवाये परिवर्तन करके रहेगें। इसलिए बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद पत्र वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे किः–कृषि भूमि खसरा नम्बर 3364, 3365 कुल किता 2 कुल रकबा 2.2400 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर का वादीगण व प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
अनुविभाग अधिकारी, श्रीमाधोपुर

के मध्य विधिक तकास्मा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डरी करवाया जाकर वादीगण को उसके हक हिस्सा व खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का अलग से खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर अलग से लगान कायम किया जाकर अलग–अलग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु वाद वास्ते तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक हो चुकी है एंव डाक विभाग की ट्रेंकिग रिपोर्ट भी पेश हो चुकी है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 से 10 बावजूद सम्मन तामील हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रकरण में साक्ष्य वादीगण में वादी मुरली देवी व दीनदयाल एंव साक्ष्य वादी गवाह में बंशीधर व सुखदेव के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण में वकील वादीगण व पक्षकारान् वादीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 10 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा उपलब्ध कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 10 का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग–अलग सीवं कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने बाबत अपनी सहमति व्यक्त करते हुए पत्रावली की आदेशिका पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव मॅगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.07.2022 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20.07.2022 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/प–51/2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 1461/रीडर/2022 दिनांक 14.09.2022 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर

रगो मे तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये पत्रांक 692/भू.अ./2023 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा प्राप्त हुये। जो शामिल पत्रावली संलग्न है।

वकील वादीगण ने प्रकरण में पक्षकारान् के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादीगण ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया। वकील वादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव में अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादीगण व पक्षकारान् की सहमति एंव अनापत्ति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 17.04.2023 में वर्णित विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:—

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

राजस्व रिकार्ड के अनुसार खाते की स्थिति :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
293	मुरली देवी पत्नि स्व0 काना, दीनदयाल प्रकाश, महेन्द कुमार, राजेन्द्र रोहिताश कुमार पुत्रगण काना हि0 1/2 समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार भगवाना पुत्र गोरूराम हि0 1/2 जाति जाट राहिन **BRKGB** नाथूसर सा0 देह खातेदार	3364 3365	0.0500 2.1900	चाही-2 चाही-2 1.0300 बारानी 3 1.1600	0.93 19.08 2.16
	योग खाता	किता-2	2.2400	2.2400	22.1700

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
293 आंशिक	दीनदयाल प्रकाश, महेन्द्र कुमार राजेन्द्र रोहिताश कुमार पुत्रगण काना, मुरली देवी पत्नि स्व0 काना हि0 1/2 मोहनलाल पप्पूराम रामवतार मुकेश राकेश पुत्रगण भगवाना, प्रभाती देवी विमला देवी पुत्रियां भगवाना हिस्सा 1/2 समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार	3365/5 3364	0.0360 0.0500	चाही-2 (गै0 मु0 रास्ता) चाही-2	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23
दिलीप सिंह

	योग खाता	किता–2	0.0860	चाही–2 गैरमु0 रास्ता	
293 आंशिक	मोहनलाल पप्पूराम रामवतार मुकेश राकेश पुत्रगण भगवाना, प्रभाती देवी विमला देवी पुत्रियां भगवाना हि0 ब0 हि0 सम्पूर्ण समस्त जाति जाट राहिन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नाथूसर सा0 देह खातेदार	3365/2 3365/4	0.6400 0.4370	बारानी 3 0.6330 चाही–2 0.0070 चाही–2	
	योग खाता	किता–2	1.0770		

मौके के अनुसार खाते का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव					
खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
293 आंशिक	दीनदयाल, प्रकाश, महेन्द्र कुमार राजेन्द्र, रोहिताश कुमार पुत्रगण काना, मुरली देवी पत्नि स्व0 काना हि0 ब0 हि0 सम्पूर्ण समस्त जाति जाट सा0 देह खातेदार	3365/1 3365/3	0.5500 0.5270	चाही–2 बारानी–3	
	योग खाता	किता–2	[illegible].0770		

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested

10/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावे। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 692/भू.अ./23 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 10.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.07.27 10:18:35 IST
Reason: SelfAttested